फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022 (जीसीएमएस/2022/5) **श्री अम्बालाल माली व अन्य बनाम श्री जमनालाल माली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री तारेश्वर मोड़ - वकील प्रार्थी 2. श्री बी.एल. पालीवाल - वकील अप्रार्थी-1 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील अप्रार्थी-2 **पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विरूद्ध अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर निर्णय दिनांक 29.12.2021, प्रकरण संख्या 263/2021** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 16.01.2023 उक्त पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2021, प्रकरण संख्या 263/2021, के विरूद्ध पेश किया गया है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दिनांक 28.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र मय अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 12.05.2009 तथा वसीयतकर्ता श्री राधेश्याम माली का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे भाई श्री राधेश्याम ने अपने खाते व कब्जे काश्त की मौजा प्रतापगढ़ की आराजीयात क्रमशः 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, 1673, 513, 515, 516, 518, 519, 520 से 524, 544 व 545 कुल किता 19 कुल रकबा 4.00 हैक्टेयर कृषि भूमि में से अपने हिस्से की कृषि भूमि दिनांक 12.05.2009 को 100/- रूपये के स्टाम्प पर एक वसीयतनामा लिखकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया है। मेरे भाई श्री राधेश्याम की दिनांक 27.05.2009 को मृत्यु हो चकी है। अतः वसीयतनामे अनुसार मेरे भाई श्री राधेश्याम की मौजा प्रतापगढ़ की उक्त वर्णित आराजीयात कृषि भूमि में से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज 1/12 हिस्से का मेरे नाम नामांतरकरण दर्ज कराने का आदेश फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 दर्ज कर निर्णय दिनांक 08.07.2021 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश प्रसाारित किया कि ''पटवारी हल्का, प्रतापगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मौजा/ग्राम प्रतापगढ़ की आराजी नम्बर क्रमशः 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, 1673, 513, 515, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 544 व 545 रकबा क्रमशः 0.1900, 0.4700, 0.0700, 0.4200, 0.2000, 0.0600, 0.5100, 0.0400, 0.0500, 0.0300, 0.1800, 0.0200, 0.2500, 0.2600, 0.2700, 0.3800, 0.1800, 0.0500 व 0.3700 हैक्टेयर कुल किता 19 कुल रकबा 4.0000 हैक्टेयर कृषि भूमि में से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/12 हिस्सा कृषि भूमि का वसीयतनामें के अनुसार वसीयत ग्रहिता श्री जमनालाल पिता श्री पन्नालाल माली, निवासी अशोक नगर, प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड में नामांतरकरण दर्ज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें।'' ● उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 263/2021 हुए जिसमें सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 20.12.2021 को बहस सुनी गई। उक्त प्रकरण में अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रार्थी द्वारा दफा 96 जादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने से यानि विधि के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने से प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 29.12.2021 से खारिज की गई। ● उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2021 के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा एक पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र इस न्यायालय समक्ष मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के दिनांक 18.01.2022	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022 (जीसीएमएस/2022/5) **श्री अम्बालाल माली व अन्य बनाम श्री जमनालाल माली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को प्रस्तुत किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर पर रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किये गये। मूल पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय को पुनरीक्षण पत्रावली के साथ संलग्न करते हुए दिनांक 11.01.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रस्तुत किया है कि न्यायालय हाजा में तहसीलदार, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 08.07.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा तकनीकि आधाार पर दिनांक 29.12.2021 को निर्णय पारित किया गया। उक्त अपील धारा-96 जादी के प्रार्थना पत्र के अभाव में अस्वीकार कर दी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी का संलग्न किया है, जिसकी ओर ध्यान आकृष्ट कर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि तहसीलदार, प्रतापगढ़ समक्ष अप्रार्थी-1 द्वारा कथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा संबंधित पक्षकारान, वारिसान एवं गवाहानों को नोटिस जारी करने का आर्डरशीट पर अंकन किया गया और तारिख पेशी वास्ते तामिली दिनांक 19.02.2021 को रखी गई। उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण स्व. श्री राधेश्याम के विधिक वारिसान की श्रेणी में आते है, जिससे वह व्यथीत पक्षकार है, परन्तु अपील प्रस्तुत करते समय सहवन से प्रार्थीगण दफा 96 जादी का प्रार्थना प्रस्तुत नहीं कर पाये, इसलिए पुनरीक्षण के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी-1 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2021 को उचित बताया। इसी क्रम में राजकीय पेरोकार द्वारा भी उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2021 का समर्थन किया गया।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्दअहकाम के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी-1 के आवेदन पर तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर वारिसान एवं गवाहान को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया। दिनांक 01.04.2021 के फर्दअहकाम अनुसार वसीयतकर्ता से संबंधित अन्य वारिसानों व सहखातेदारों को नोटिस जारी किये जाना उचित माना। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 की अवलोकन से यह पाया गया कि प्रार्थी-1 श्री अम्बालाल सहखातेदार व वारिसान के श्रेणी में है। इसी प्रकार प्रार्थी-2 श्री प्रेमचन्द सहखातेदार मांगीलाल का पुत्र होकर सहखातेदार व वारिसान के श्रेणी में प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, प्रतापगढ़ द्वारा अपने फर्दअहकाम अनुसार कार्यवाही नहीं करते हुए इन सहखातेदारों/वारिसान को नोटिस जारी किया जाना उचित मानते हुए भी नोटिस/सम्मन जारी नहीं किये गये, ऐसा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जाहिर होता है, यद्यपि तहसीलदार द्वारा उजरदारी हेतु नोटिस कई कार्यालयों में चस्पा किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा सहखातेदारान एवं अन्य सभी वारिसान को सम्यक् तामिली की कार्यवाही नहीं की गई जबकि उसके स्वयं द्वारा उनको सुनना/नोटिस जारी किये जाना उचित माना है। अतः स्पष्ट है कि तहसीलदार, प्रतापगढ़ समक्ष प्रार्थीगण पक्षकार के रूप में सयोंजित थे, ऐसे में इस न्यायालय में प्रार्थीगण को दफा 96 जादी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था। न्यायालय हाजा के पुर्वाधिकारी के निर्णय दिनांक 29.12.2021 में उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अभिलेख के आमुख पर त्रुटि परिलक्षित होती है, जिससे प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण गुणावगुण पर भी निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

हमने मूल प्रकरण में अंकित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन व अध्ययन किया। जैसा की उपरोक्त में इंगित किया गया है कि तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा सभी वारिसान एवं सहखातेदारों को नोटिस जारी किया जाना उचित मानते हुए भी उनके पृथक से नोटिस जारी नहीं किये गये जो अनुचित है।

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या 01/2022 (जीसीएमएस/2022/5) **श्री अम्बालाल माली व अन्य बनाम श्री जमनालाल माली व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई प्रतिकुल आदेश पारित किये जाने से पूर्व उसे सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय की कार्यवाही में नहीं पाया गया। ऐसे में यह न्यायालय तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2021 को समर्थन नहीं करता है और यह पाता है कि प्रकरण तहसीलदार प्रतापगढ़ को वसीयती जमीन की प्रकृति यथा मौरूसी/स्वअर्जित की जांच कर, सभी वारिसान व सहखातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनको पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिक स्थिति का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार** किया जाता है और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2021 में संशोधन करते हुए तहसीलदार, प्रतापगढ़ का निर्णय दिनांक 08.07.2021 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार प्रतापगढ़ को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह वसीयती जमीन की प्रकृति यथा मौरूसी/स्वअर्जित की जांच कर, सभी वारिसान व सहखातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनको पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिक स्थिति का परिक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (अंजलि राजोरिया) I.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	